संख्या-138/2026/I/1282023/2026/23-11099(099)/23/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 27-03-2026**

विषयः- जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर के अन्तर्गत बलरामपुर-श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 पर गोण्डा-बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर-झारखण्डी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या-136 स्पेशल/3ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/501132/2026/PWD-BDD30ESTM/253/2026-BDD3, दिनांक 12-03-2026 एवं पत्र संख्या-677/मु0अभि0 (सेतु)/बी0डी0डी0-3/2025-26, दिनांक 15-03-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर के अन्तर्गत बलरामपुर-श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 पर गोण्डा-बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर-झारखण्डी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या-136 स्पेशल/3ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 29221.35 लाख (जिसमें रेलवे पोर्शन की लागत रू0 9262.98 लाख, भूमि अध्याप्ति की लागत रू0 5816.43 लाख, यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत रू0 1408.32 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 12733.62 लाख सम्मिलित है) की डिपॉजिट वर्क के रूप में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 9000.00 लाख (रूपये नब्बे करोड़ मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-57	अनु0-83	योग
1	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर के अन्तर्गत बलरामपुर-श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 पर गोण्डा-बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर-झारखण्डी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या-136 स्पेशल/3ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	29221.35	7091.10	1908.90	9000.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत सम्पार पर आर0ओ0बी0 निर्माण होने के पश्चात सभी प्रकार के यातायात के लिए जनहित में बन्द किया जाना सम्भव न होने के दृष्टिगत रेलवे द्वारा परियोजना की निर्माण लागत में सहभागिता न किये जाने के कारण प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की सम्पूर्ण लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च,2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई,2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य(टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण आईआरसी/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानको (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(10) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054 सड़क तथा सेतु- 800 अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(12) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(13) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (5887.00 व0मी0) हेतु रू0 5298.66 लाख एवं भवनों का ध्वस्तीकरण (3451.80 व0मी0) की लागत रू0 517.77 लाख प्रस्तावित की गयी है, जिसे यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही Work Start Date/Day Zero निर्धारित/जारी किया जाये।

(17) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग यथा- विद्युत विभाग हेतु रू0 318.52 लाख, वन विभाग हेतु रू0 1.03 लाख, टेलीफोन विभाग हेतु रू0 5.90 लाख, जल निगम (पाइप लाइन) हेतु रू0 93.17 लाख एवं जल निगम (सीवर लाइन) हेतु रू0 759.91 लाख एवं नगर निगम हेतु रू0 229.75 लाख सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। इस कार्य के वास्तविक आगणन के अनुसार धनराशि देय होगी। इन कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार विभाग अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यो का Veridication & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यो हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।

(19) विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(20) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण आई0आर0सी0/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(21) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(24) परियोजना का निर्माण कार्य 24 माह के अन्दर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन इत्यादित के कारण परियोजना का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(25) प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

(26) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमद के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022 10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) सेन्टेज चार्जेज (प्रशिक्षत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(29) प्रश्नगत परियोजना सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या-202600003100548 है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रुपये 70,91,10,000 (रूपये सत्तर करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010517 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 19,08,90,000 (रूपये उन्नीस करोड़ आठ लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या083 लेखा शीर्षक 5054047891900 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-1234-X-2025-26-दिनांक 27-03-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- महाप्रबन्धक, सम्बन्धित रेलवे।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलक्ट्रेट, लखनऊ।
11. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग- 1/9/10/12 एवं 14. उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।